

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 12.03.26

क्रमांक रीडर/2026/3036

प्रार्थीगण

बनाम

1 चेनाराम पुत्र करनाराम  
2 डेलीदेवी पत्नि करनाराम  
3 नगाराम पुत्र करनाराम  
जातियान कुम्हार निवासी  
रोहिली, कपूरडी तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

अप्रार्थीगण

1 अर्जनराम पुत्र प्रतापाराम 2 नेमा पुत्र अम्बाराम 3 बाबूलाल पुत्र  
प्रतापाराम 4 मूली पत्नि आम्बाराम 5 शोभाराम पुत्र प्रतापाराम 6  
गोधनराम पुत्र जेठाराम 7 केदाराराम पुत्र सुरताराम 8 चौथाराम पुत्र  
सोनाराम 9 छगनाराम पुत्र सुरताराम 10 जमना पत्नि लाधाराम 11  
डामराराम पुत्र सुरताराम 12 धाई पत्नि कालूराम 13 धाईदेवी पत्नि  
सुरताराम 14 निम्बाराम पुत्र सुरताराम 15 भंवराराम 16 मेराजराम 17  
राणाराम पिसरान कालूराम जातियान कुम्हार निवासी रोहिली तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण 18 कुलदीपसिंह पुत्र सुल्तानसिंह 19 गणेशकंवर पत्नि  
सुल्तानसिंह 20 डूंगरसिंह पुत्र देरावरसिंह 21 बहादूरसिंह पुत्र  
सुल्तानसिंह जातियान राजपुत सभी निवासी कपूरडी तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर 22 अर्जनलाल 23 द्वारकाराम 24 माधाराम  
पिसरान अलसाराम 25 देवाराम 26 भूराराम 27 रतनाराम पिसरान  
मोटाराम 28 भीमाराम पुत्र केसराराम 29 निम्बाराम 30 बाबूलाल 31  
रूपाराम पिसरान आम्बाराम 32 पूनमाराम पुत्र जेठाराम 33 शंकरलाल  
पुत्र नवलाराम 34 नथाराम पुत्र केसराराम 35 किशनीदेवी पत्नि  
दलाराम 36 नारायणराम पुत्र दलाराम 37 प्रभूराम पुत्र दलाराम जाति  
कुम्हार निवासी रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 38  
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-886/2025

दिनांक- 10/03/2026

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कपूरडी पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर  
के खसरा संख्या 870/187 रकबा 1.7725 हैक्टेयर व मौजा रोहिली पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर खसरा संख्या 833/188 रकबा 4.2411 हैक्टेयर व खसरा संख्या  
834/199 रकबा 2.5010 हैक्टेयर, खसरा संख्या 835/128 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ  
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने  
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति  
में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र  
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक-

12.03.26

क्रमांक :- रीडर/2026/3037 - 3040

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण चेनाराम पुत्र करनाराम जातियान कुम्हार निवासी रोहिली, कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अर्जनराम पुत्र प्रतापाराम वगैराह जातियान कुम्हार निवासी रोहिली, कपूरडी तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर